सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

94

चौरान्वेवां प्रतिवेदन

[भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(05.08.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

अगस्त 2022/ श्रावण 1944 (शक)

<u>विषय सूची</u>

		पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना (2021-2022)		**(तीन)**
प्राक्कथन		**(पांच)**
<u>प्रतिवेदन</u>	भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई	1

<u>परिशिष्ट</u>

<u>परिशिष्ट-एक</u>	समिति **द्वारा अपने** तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर	3
<u>परिशिष्ट-दो</u>	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 01.08.2022 को हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	10

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

<u>लोक सभा</u>

(2021-2022)

श्री रितेश पांडेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
5. श्री पल्लब लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. चौधरी महबूब अली कैसर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1.	श्रीमती सुमन अरोड़ा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री सुन्दर प्रसाद दास	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने 53वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह चौरान्वेवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

2. 53वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोकसभा) 15.12.2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने 04.04.2022 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए थे, जिसमें **53**वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को दर्शाया गया था। समिति ने 01.08.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए समिति से जुड़े लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों की सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
03 अगस्त 2022
12 श्रावण 1944 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोकसभा

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति(2021-2022),लोक सभा</u>

भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन ।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का यह प्रतिवेदन समिति के तिरपनवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई से संबंधित है जिसमें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर चर्चा की गई है और इस प्रतिवेदन को लोक सभा में 15.12.2021 को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. समिति ने अपने तिरपनवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में आठ टिप्पणियां/सिफारिशें की थीं। उक्त प्रतिवेदन की सभी आठ टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई कार्रवाई संबंधी उत्तर सरकार से 04 अप्रैल, 2022 को प्राप्त हुए थे। तदनुसार, तिरपनवें प्रतिवेदन (17वीं लोकसभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर **<u>परिशिष्ट</u>** में दिया गया है।

3. मंत्रालय ने अपने की-गई कार्रवाई उत्तर में बताया है कि संबंधित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित इकाइयों से जानकारी के संग्रहण और लेखापरीक्षा प्रक्रिया को शुरू करने और पूरा करने में लिया गया लंबा समय ऐसे कारक हैं जिनके कारण विलंब हुआ। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की-गई कार्रवाई उत्तरों से समिति यह नोट करती है कि एसएआई ने अपने मूल प्रतिवेदन में समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर परिवर्तन लाया है, जैसाकि उन्होंने बताया है कि एसएआई के वित्त वर्ष 2020-2021 के लेखाओं को वर्ष 2018-2019 की सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि किसी भी विलंब से बचने के लिए इस प्रक्रिया का पालन भविष्य में भी किया जाएगा। मंत्रालय ने समिति को इस बात से भी अवगत कराया है कि एसएआई ने वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में विलंब से बचने के लिए कतिपय उपाय भी किए हैं, यथा अपनी सभी इकाइयों और केंद्रों में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की संस्थापना; त्रैमासिक आधार पर लेखाओं की तैयारी और आगामी वर्षों के लिए लेखाओं की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए लेखाओं की तैयारी को ट्रैक करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त करना। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने एसएआई से सूचना के वास्तविक समय के संकलन के लिए अपने लेखाकंन और प्रशासनिक इकाइयों को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफार्म कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है। समिति

मंत्रालय/ एसएआई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करती है और आशा करती है कि इन प्रयासों से अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने में विलंब को समाप्त करने में मदद मिलेगी। समिति उक्त केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता जानना चाहेगी, बशर्ते कि यदि एसएआई द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है।

4. समिति यह भी नोट करती है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) निर्धारित समय के भीतर संसद के समक्ष एसएआई के 2019-2020# और 2020-2021 के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में असफल रहा है। अतः, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एसएआई, नई दिल्ली के इन पिछले दो वर्षों से लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को संसद के मानसून सत्र में लोकसभा के पटल पर रखना चाहिए और दूसरा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 2021-2022 के बाद इनके आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर लोकसभा के पटल पर रखे जाएं।

5. समिति मंत्रालय द्वारा अपनी की कार्रवाई-उत्तर में दिए गए आश्वासन को नोट करती है कि समिति की टिप्पणियों को संगठन द्वारा भविष्य में सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया लिया गया है और इसलिए यह, आशा करती है कि समिति को एसएआई, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेजों को भविष्य में पांचवीं बार फिर से सभा पटल पर रखने में विलंब के मामला पर विचार नहीं करना पड़ेगा। समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) भी एसएआई, नई दिल्ली के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने की तिथियों पर निगरानी रखेगा।

नई दिल्ली
01 अगस्त 2022
10 श्रावण 1944 (शक)

रितेश पांडेय
सभापति,
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोकसभा

 # भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), नई दिल्ली की 2019-2020 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेख 19.07.2022 को लोकसभा के पटल पर रखे गए।

<u>परिशिष्ट-एक</u>

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 02)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोक सभा), सत्रहवीं लोक सभा के तिरपनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला उत्तर

<u>भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली</u>

<u>सिफारिश क्रम सं. 21</u>

समिति यह नोट कर अपनी अप्रसन्नता जाहिर करना चाहती है कि यह 'चौथा ऐसा मौका है जहां भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब का मामला समिति के समक्ष आया है। पहले भी समिति ने क्रमशः 27.04.1993, 06.12.2005 और 22.12.2015 को सभा में प्रस्तुत अपने 7वें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा), 5वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) और 5वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में एसएआई के वर्ष 1989-1990, 1996-1997 से 2003-2004 और 2005-2006 से 2013-2014 तक के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले को विचारार्थ लिया था। अपने की गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में समिति ने यह पाया कि एसएआई के अनुवर्ती वर्षों के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में कोई सुधार नहीं हुआ है। अतः, समिति ने अपने 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) और 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अपने की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में यह सिफारिश भी की थी कि दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाए। समिति, पूर्ववर्ती मौखिक साक्ष्यों के दौरान, से दिए गए आश्वासन के प्रति युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) दोनों के उदासीन रवैये और साथ ही समिति के प्रतिवेदनों की सिफारिशों के प्रति दर्शाए गए अनादर को गंभीरता से लेती है। समिति का सुविचारित मत है कि समिति की सिफारिशों की उपेक्षा करके अत्यधिक विलंब किया गया।

समिति, भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली से संबंधित अपने पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के प्रति जानबूझकर की गई अवहेलना का संज्ञान लेती है और यह चाहती है कि उसे तत्संबंधी कारणों की विस्तार से जानकारी दी जाए।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) एक फील्ड संगठन है । इसके कुछ केंद्र अति दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं । प्रथम चरण में ग्रामीण/दूरस्थ इलाकों में स्थित इकाइयों के लेखाओं का समेकन संबंधित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली इकाइयों से

जानकारी एकत्र करने के बाद किया जाता है । इन कारणों से विलंब हुआ । तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 से समिति के निदेशों/ टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित अनुसूची के अनुसार वार्षिक लेखाओं का संकलन किया गया । मंत्रालय में समय-समय पर उच्चतम स्तर पर भी स्थिति की निगरानी की जा रही है । यह उल्लेखनीय है कि लेखा परीक्षा प्राधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने के बाद, उन्हें लेखापरीक्षा शुरू करने में कम से कम 25 कार्य दिवस लगते हैं और उसके बाद अंतिम एसएआर जारी करने के लिए 6-8 महीने लगते हैं । इस प्रकार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विलंब हो जाता है ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

सिफारिश क्रम सं. 22

समिति संसद (लोक सभा) के पटल पर रखे गए अपेक्षित पत्रों की जांच से यह नोट करती है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) ने भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), नई दिल्ली के वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने की निर्धारित तिथि (यों) से क्रमशः 13, 18 और 21 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया। इसके अतिरिक्त, पिछले दो वर्षों अर्थात 2018-2019 तथा 2019-2020 के अपेक्षित दस्तावेजों को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है ।

समिति, मंत्रालय और एसएआई दोनों के संसद और इस देश के लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में इस सतत उदासीन रवैये को नोट कर अत्यंत निराश है । अतः समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय आगे कोई और विलंब किए बिना लंबित अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे और साथ ही मंत्रालय और एसएआई से सामान्य वित्तीय नियमों एवं अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखने के लिए इस समिति की सिफारिशों का सख्ती से अनुपालन करे।

सरकार का उत्तर

वर्ष: 2019-20:

लेखापरीक्षा 05/02/2021 को शुरू हुआ और 10/03/2021 को यह पूरा हुआ । प्रारूप एसएआर 04.08.2021 को प्राप्त हुआ था और उत्तर 03.09.2021 को प्रस्तुत किए गए थे । संशोधित प्रारूप एसएआर 23.11.2021 को प्राप्त हुआ । संशोधित एसएआर के उत्तर लेखापरीक्षा को 29.11.2021 को प्रस्तुत किए गए थे । इसके बाद के उत्तर 30.12.2021 को फिर से प्रस्तुत किए गए । अंतिम एसएआर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष: 2020-21:

लेखाओं को संकलित किया गया था और विलंब से बचने के लिए 27.07.2021 को फाइल पर जीबी के माननीय अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया गया था और 28.09.2021 को जीबी की 55वीं बैठक में इनका अनुसमर्थन किया गया था । लेखाओं को 11.08.2021 को ऑडिट को प्रस्तुत किया गया । 26.08.2021 से 23.09.2021 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी । प्रारूप एसएआर अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

समिति की टिप्पणियों को संगठन द्वारा भविष्य में पूर्ण अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

<u>सिफारिश क्रम सं. 23</u>

समिति यह भी नोट करती है कि एसएआई इस बाध्यता को पूरा करने में बार-बार विफल रहा है । समिति पाती है कि एसएआई प्रतिवर्ष लेखाओं के संकलन में अत्यधिक समय लगाता है और इस संबंध में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है । इस तर्क को कि लेखाओं को 90 कार्यालयों से एकत्र किया जाना होता है, समिति ने पहले भी निराधार माना था और इस बार भी यह तर्क पूर्णतः अनुचित है । समिति यह भी पाती है कि दिनांक 07.02.2005 को मौखिक साक्ष्य के दौरान तिमाही लेखाओं की तैयारी में मंत्रालय द्वारा की गई उपचारात्मक कारवाई दिखावा मात्र ही साबित हुई है ।

समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय/एसएआई भविष्य में विलंब से बचने के लिए इन उपाचारात्मक उपायों का तत्परता से अनुपालन करें ताकि एसएआई के लेखाओं का समय से संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

एसएआई का वार्षिक लेखा तैयार करने में विलम्ब से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. सभी केंद्रों और इकाइयों में टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है;

2. वर्ष 2021- 22 से, क्षेत्रीय केंद्रों में प्रायोगिक आधार पर टैली क्लाउड सुविधा भी शुरू की गई है । इसके बाद अन्य इकाइयों को भी उचित लेखा/ कंप्यूटर कर्मियों की तैनाती सहित क्लाउड सिस्टम के तहत कवर किया जाएगा;

3. वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में अधिक कार्यभार से बचने के लिए अब त्रैमासिक आधार पर लेखाओं की तैयारी की जा रही है;

4. लेखाओं की तैयारी में तेजी लाने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को नियुक्त किया गया है । इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लेखाओं को समय पर समेकित किया जा सका और आगामी वर्षों के लिए लेखाओं की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

<u>सिफारिश क्रम सं. 24</u>

समिति नोट करती है कि लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक समय लगा है और एसएआई ने इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है । इसके अतिरिक्त, समिति एसएआई द्वारा अपनाई जा रही 'प्रचलित' पद्धति, जिसमें किसी वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों को तब तक लेखे प्रस्तुत नहीं किए जाते जब तक कि पिछले वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त न हो जाए, को निरर्थक मानती है । समिति यह भी सिफारिश करती है कि एसएआई द्वारा अपनाई जा रही 'प्रचलित' पद्धति की उचित स्तर पर समीक्षा की जाए और यदि समीक्षा में सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तो इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाए जाएं ।

समिति सिफारिश करती है कि लेखापरीक्षा प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से नियमित रूप से पत्राचार किया जाए ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति की टिप्पणियों को नोट किया गया और उसके अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

1. 2018-19 तक, लेखाओं को पिछले वर्ष का अंतिम एसएआर प्राप्त करने के बाद ही डीजीएसीई के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था । तथापि, वित्त वर्ष 2020-21 के लेखाओं को वर्ष 2019-20 के एसएआर की प्राप्ति के बिना ही प्रस्तुत किया गया था । किसी भी विलंब से बचने के लिए भविष्य में भी इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा ।

2. दिनांक 31.05.21 के कार्यालय पत्र सं. 2(4)/15/साई/2017-18 द्वारा डीजीएसीई से वित्त वर्ष 2019-20 के संबंध में प्रारूप एसएआर के लिए अनुरोध किया गया था ।

3. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रारूप एसएआर 04.08.2021 को प्राप्त हुआ और 03.09.2021 को उत्तर प्रस्तुत किया गया ।

4. संशोधित प्रारूप एसएआर 23.11.2021 को प्राप्त हुआ और संशोधित एसएआर के उत्तर 6 दिनों के भीतर 29.11.2021 को डीजीएसीई को प्रस्तुत किए गए थे ।

5. दिनांक 22.12.2021 के पत्र द्वारा, डीजीएसीई से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम एसएआर जारी करने का अनुरोध किया गया था ।

समिति की टिप्पणियों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

<u>सिफारिश क्रम सं. 25</u>

समिति को बताया गया है कि विलंब का अन्य कारण एसएआई के आवश्यक दस्तावेजों के अनुवाद और मुद्रण में लिया गया अधिक समय है । समिति ने नोट किया कि पूर्व में मौखिक साक्ष्य के दौरान भी इस प्रकार के विलंब देखे गए थे । तब, मंत्रालय ने समिति को बताया था कि इसने अनुवाद कार्य को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है और साथ ही अपने लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व ही आवश्यक दस्तावेजों के अनुवाद हेतु पहले से ही कारवाई करनी शुरू कर दी थी । यह भी बताया गया था कि सरकार दवारा अनुमोदित एजेंसी से दस्तावेजों का मुद्रण कराने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है । तथापि, समिति यह पाती है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान अनुवाद और मुद्रण कार्य में क्रमशः लगभग 09, 11 और 21 महीने का समय लगा है जिसके कारण और अधिक विलंब हुआ है ।

समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाए कि पूर्व में प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को करने हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिक और मशीनरी उपलब्ध हो, जिससे कि इस प्रकार के विलंब से बचा जा सके ।

सरकार का उत्तर

समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

सिफारिश क्रम सं. 26

यह भी देखा गया है कि मंत्रालय द्वारा पूर्व के प्रतिवेदनों में की गई इस सिफारिश की निर्धारित अवधि समाप्त होने अथवा सभा की बैठक आरंभ होने, जो भी बाद में हो, के 30 दिन के भीतर यह कारण बताते हुए कि अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित अवधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखे जा सके, के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाए, का अनुपालन नहीं किया गया है ।

अतः, समिति मंत्रालय को निदेश देती है कि समिति की सिफारिश के अनुसार इस विवरण को सभा पटल पर रखा जाए । तथापि, इसका सहारा विलंब के 'अपरिहार्य' कारणों को बताने के लिए किया जाए न कि विलंब का औचित्य सिद्ध करने के लिए ।

सरकार का उत्तर

समिति के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

सिफारिश क्रम सं. 27

समिति को बताया गया था कि एसएआई को दस्तावेजों के संबंध में अनुमोदन लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी की बैठक आयोजित करने में किसी प्रक्रियात्मक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा । तथापि, समिति यह पाती है कि वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद दस्तावेजों के संबंध में अनुमोदन प्राप्त करने के बीच 04 से 08 महीने का अंतर था। समिति की राय है कि एसएआई दवारा लेखाओं को लेखापरीक्षा अधिकारी को भेजने हेतु अनुमोदन दिए जाने को उचित महत्व नहीं दिया गया ।

अतः, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय/एसएआई द्वारा सक्षम प्राधिकारी की बैठकें समय पर आयोजित किए जाने को प्राथमिकता दी जाए ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

समिति के निदेशों/टिप्पणियों के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं के लिए शासी निकाय के माननीय अध्यक्ष से 27.07.2021 को अनुमोदन प्राप्त किया गया था और बाद में शासी निकाय द्वारा इसकी पुष्टि की गई, ताकि लेखाओं की तत्काल प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

<u>सिफारिश क्रम सं. 28</u>

समिति की यह भी राय है कि यहां पर भी विलंब मत्रालय की वजह से हुआ है क्योंकि यह 1996-1997 से उत्पन्न विलंब के कारणों को मॉनीटर करने और उनका समाधान करने में पूरी तरह से विफल रहा है। साथ ही, इस बार मंत्रालय ने कमोबेश पूर्व में 2005 में दिए गए मौखिक साक्ष्य के दौरान दिए गए उपचारात्मक उपाय यथा मासिक लेखें तैयार करना, लेखाओं का कंप्यूटरीकरण करना, आवश्यक दस्तावेजों के अनुवाद के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करना सुझाए हैं। तथापि, प्राप्त उत्तरों की जांच से यह स्पष्ट है कि यहां यथास्थिति बरकरार है और इसलिए बताए गए उपचारात्मक उपाय मात्र दिखावा है। समिति, मत्रालय दवारा इस संबंध में विलंब को कम करने हेतु बनाई गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को नोट करती है । तथापि, समिति का यह मानना है कि मंत्रालय के अभी तक के गैर-प्रतिबद्धतापूर्ण रवैये को देखते हुए इसका समुचित कार्यान्वयन होना संदेहास्पद है ।

अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से एसएआई के कार्यकरण की निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2020-21 से एसएआई, नई दिल्ली के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर रखे जाएं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि एसओपी का अनुपालन किया जाए । इसके अलावा, एसएआई से यह भी अनुरोध किया गया है कि वह सूचना के रियल टाइम संकलन के लिए अपनी लेखा और प्रशासनिक इकाइयों को एकीकृत करते हुए एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लागू करे ।

(युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एच-11013/4/2022-खेल समन्वय (23980) दिनांक 4 अप्रैल, 2022)

*****

<u>परिशिष्ट-दो</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 01.08.2022 को हुई तेरहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022)</u>

समिति की बैठक सोमवार, 1 अगस्त, 2022 को 15:00 बजे से 15:30 बजे तक समिति कक्ष "**ग** ", संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में हुई ।

<u>उपस्थित</u>

श्री रितेश पांडेय - सभापति

<u>सदस्य</u>

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री पल्लव लोचन दास
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री एस. रामलिंगम
6. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
7. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

X X X X X

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर चार प्रारूप प्रतिवेदनों और नौ की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों को विचार करने के लिए लिया :-

i. **X X X X X**;
ii. **X X X X X**;

iii. **X** **X** **X** **X** **X**;

iv. **X** **X** **X** **X** **X**;

v. **X** **X** **X** **X** **X**;

vi. **X** **X** **X** **X** **X**;

vii. **X** **X** **X** **X** **X**;

viii **X** **X** **X** **X** **X**;

ix भारतीय खेल प्राधिकरण(एसएआई), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा अपने तिरपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई;

x **X** **X** **X** **X** **X**;

xi **X** **X** **X** **X** **X**;

xii **X** **X** **X** **X** **X**; और

xiii **X** **X** **X** **X** **X**.

4. विचार-विमर्श के बाद, समिति द्वारा बिना किसी संशोधन के प्रतिवेदन और की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों को स्वीकार किया गया। समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालय/विभाग से तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

5-10. **X** **X** **X** **X** **X**

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।